जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 25-09-2021**

आज दिनांक 25.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

महुली पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 281 / 2021 धारा 498(ए) / 304(बी) / 506 / 201 भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता राजदेव पुत्र बोफई निवासी चौरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

दिनांक 24.09.2021 को वादी श्री आनन्द यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी लोईयाभार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उसकी बहन रिंकी को उसके पति राजेन्द्र यादव, ससुर राजदेव व सास कुसुम निवासीगण चौरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दहेज में 05 लाख रुपये की मांग को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था व उसकी दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। घटना के संबंध मे थाना महुली पर मु0अ0सं0 281 / 2021 धारा 498(ए) / 304(बी) / 506 / 201 भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

प्रभारी निरीक्षक महुली श्री रणविजय सिंह मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व विवाद मे घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत पारासीर से इवेन्ट संख्या 07415 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर मारपीट / विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र शनिचरा भेजवाया गया व घटना के संबंध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता

एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर व घायलों को अस्पताल भेजवाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 हरिशंकर गौड़, आ0 जितेन्द्र चौधरी, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 110 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 110 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।